आदेश

उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत/जिला पंचायत अधिनियम 1961(यथा संशोधित, उत्तराखण्ड में अनुकूलित एवं उपान्तरित) के अनुसार वित्तीय वर्ष 2016–17 में जनपद नैनीताल की समस्त क्षेत्र पंचायतों की खुली बैठको हेतु निम्न तिथियॉ निर्धारित की जाती है:–

क0स0	क्षे0पं0का नाम	क्षेत्र पंचायतों की बैठको हेतु निर्धारित तिथियॉ			
01	बेतालघाट	30.05.16	29.08.16	25.11.16	11.02.17
02	हल्द्वानी	31.05.16	31.08.16	28.11.16	14.02.17
03	धारी	18.06.16	14.09.16	30.11.16	17.02.17
04	रामगढ़	21.06.16	16.09.16	14.12.16	22.02.17
05	ओखलकाण्डा	23.06.16	20.09.16	16.12.16	07.03.17
06	भीमताल	25.06.16	22.09.16	20.12.16	09.03.17
07	रामनगर	28.06.16	24.09.16	22.12.16	18.03.17
08	कोटाबाग	04.07.16	29.09.16	30.12.16	22.03.17

पूर्व की भॉति पुनः समस्त कार्यालयाध्यक्षों/जिला स्तरीय अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे उक्त रोस्टर के अनुसार क्षेत्र पंचायतों की खुली बैठकों का ऐजेण्डा प्राप्त होने पर बैठको में तैयारी सहित अनिवार्य रूप से भाग लेना सुनिश्चित करें तथा बैठकों की उक्त तिथियों में विभागीय स्टाफ बैठक/भ्रमण कार्यक्रम प्रस्तावित न किये जायं। साथ ही क्षेत्र पंचायत अथवा उसकी समिति द्वारा अधिनियम के प्राविधानुसार समय–समय पर आहुत बैठकों में भी अपेक्षा किये जाने पर सम्बन्धित अधिकारी द्वारा प्रतिभाग किया जायेगा। इसके अतिरिक्त जब कभी भी अत्यन्त महत्वपूर्ण परिस्थितियों में जिला स्तरीय अधिकारी द्वारा पूर्व निश्चित क्षेत्र पंचायत की बैठकों में अपरिहार्य कारणों से भाग लेना सम्भव न हो तो वे इसकी लिखित अनुमति मुझसे प्राप्त करेगें तथा सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी के माध्यम से क्षेत्र पंचायतों को भी अवगत करायेगें, साथ ही सम्बन्धित अधिकारी यह भी सुनिश्चित कर लेवें कि उनके बाद जो भी वरिष्ठतम अधिकारी हो वह ऐसी स्थिति में बैठकों में पूर्ण विभागीय जानकारी के साथ अनिर्वाय रूप से भाग लेगे। क्षेत्र पंचायतों द्वारा पारित प्रस्ताव पर विभागीय नियमानुसार त्वरित निस्तारण की कार्यवाही सुनिश्चित कर कृत कार्यवाही से सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी के माध्यम से क्षेत्र पंचायत को अवगत करायेगें।

ह0
(दीपक रावत)
जिलाधिकारी,
नैनीताल।

कार्यालय जिलाधिकारी, नैनीताल।

पत्रांकः– 01 /क्षे0पं0/रोस्टर/2016.17 दिनांक 17 मई 2016।

प्रतिलिपिः– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. समस्त खण्ड विकास अधिकारी, जनपद नैनीताल।
2. समस्त उपजिलाधिकारी,जनपद नैनीताल।
3. समस्त जिला स्तरीय अधिकारी/कार्यालयाध्यक्ष जनपद नैनीताल।
4. जिला पंचायत राज अधिकारी, नैनीताल।
5. अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत नैनीताल ।
6. जिला विकास अधिकारी, नैनीताल ।
7. मुख्य विकास अधिकारी, नैनीताल।
8. आयुक्त कुमॉऊ मण्डल, नैनीताल।
9. निदेशक पंचायतीराज उत्तराखण्ड देहरादून।
10. सचिव पंचायतीराज उत्तराखण्ड देहरादून।
11. समस्त माननीय प्रमुख,क्षेत्र पंचायत,जनपद नैनीताल।
12. समस्त माननीय विधायक जनपद नैनीताल।
13. माननीय अध्यक्ष, जिला पंचायत नैनीताल।
14. माननीय सासद, नैनीताल संसदीय क्षेत्र।
15. माननीय सांसद राज्य सभा।
16. जिला सूचना अधिकारी, नैनीताल को समस्त दैनिक समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशनार्थ।

जिलाधिकारी,
नैनीताल।